कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

28/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने दिनांक 14.11.20 को वादी का कोर्ट कोड पर मृतक वादी के वारिसान नेमीचंद के नाम से लंबित अधिवक्ता ज्ञानचंद खान पुनर्गठन पेश किया। पुर्गठन पत्र वकील प्रतिवादी ने इतराज किया तथा कथन किया कि पुर्गठन पत्र अपूर्ण है। वादी अधिवक्ता ने नेमीचंद की ज्ञानचंद के खिलाफ वकालत नामा पेश नहीं किया एवं ना ही ज्ञानचंद पर नेमीचंद के हस्ताक्षर हैं। फलस्वरूप ज्ञानचंद वादी मुकदमा पैरवीय नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी ने ज्ञानचंद वालत हाजा अलैहदा करने का पेश किया। नकाब वकील वादी को दिखाई गई। वकील वादी ने जवाब ज्ञानचंद हेतु पुनः अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

28/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी ने जवाब ज्ञानचंद हेतु पुनः अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 11/5/22 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

11/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रति. ने जवाब ज्ञानचंद हेतु पुनः अवसर चाहा। अन्तिम पेशी पर स्वतः संज्ञान की मांग पर न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। मिसल दिनांक 7.6.22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

7/6/22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील को बार-बार रुक-रुक न्यायालय समय तक आवाज लगवाई, परन्तु इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वाद वादी मदम पैरवी एवं मदम दराजी में खारिज किया जाता है। पत्रावली ऊँचला सुमार छोड़ दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील शाखा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:26:23 IST
Reason: SelfAttested